"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 216] नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 6 मई 2026 — वैशाख 16, शक 1948

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 6 मई 2026

अधिसूचना

क्रमांक GENCOR/13921/2025-REGISTRATION.— भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ राज्य के सेवारत सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों अथवा उनकी विधवाओं को ₹ 25 लाख तक की संपत्ति क्रय करने पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में 25% की छूट निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन प्रदान करती है, अर्थात् :-

1. यह छूट छत्तीसगढ़ राज्य में ₹ 25 लाख की सीमा तक अचल संपत्ति क्रय किये जाने पर, मात्र एक बार प्रदान की जायेगी, यदि क्रय की गई संपत्ति का मूल्य ₹ 25 लाख में अधिक है तो अतिरिक्त राशि पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होगा।
2. इस आदेश के अंतर्गत स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त करने के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य का मूलनिवासी प्रमाणपत्र (मूल निवासी होने का प्रमाण) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
3. इस छूट का लाभ केवल एक बार ही लिया जा सकेगा, अतः क्रेता द्वारा इस आशय का एक शपथपत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
4. शुल्क से रियायत प्राप्त करने के लिये, सेवारत सैनिक/भूतपूर्व सैनिक अथवा उनकी विधवा होने संबंधी अभिलेख प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित आनंद, सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20 अप्रैल 2026

क्रमांक GENCOR/13921/2025-REGISTRATION.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक GENCOR/13921/2025-REGISTRATION दिनांक 06-05-2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित आनंद, सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 6th May 2026

NOTIFICATION

GENCOR/13921/2025-REGISTRATION.— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), the State Government, hereby, reduces the stamp duty by 25% on the chargeable stamp duty for serving soldiers/ex-servicemen of the State of Chhattisgarh or their widows on purchase of property up to ₹ 25 lakhs, subject to the following conditions, namely :-

1. This exemption shall be granted only once for the purchase of immovable property in the State of Chhattisgarh up to a limit of ₹ 25 Lakhs. If the value of property purchased is above ₹ 25 Lakhs, stamp duty shall be chargeable on the excess amount as per the rules.
2. To avail exemption from stamp duty under this order, it is mandatory to submit a domicile certificate (proof of being an original resident) of the State of Chhattisgarh.
3. The benefit of this exemption shall be availed only once; therefore the buyer shall be required to furnish an affidavit to this effect.
4. To avail the fee concession, relevant documents of being a serving soldier /ex- serviceman or their widow must be submitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANKIT ANAND, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2026.